संख्या-44/2024/4119/22-2-2023-17(1444)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2024*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चतुरानन पुत्र श्री जामवन्त, निवासी जनपद-मैनपुरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, कारागार मुख्यालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-34983/प्रोबे0-5-दया0/के0का0 फतेहगढ़-3704 दिनांक 05.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चतुरानन पुत्र श्री जामवन्त, करीमगंज, थाना-बिछवां, जिला-मैनपुरी का निवासी है। बन्दी द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 03-06-2008 को अपनी पत्नी की हत्या कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-673/2008 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश-ई0सी0 एक्ट, मैनपुरी के आदेश दिनांक 18-01-2014 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10-12-2018 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31-07-2023 तक 15 वर्ष, 01 माह, 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 01 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट दिनांक 31-07-2023 के अनुसार बन्दी की 38 वर्ष की आयु तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चतुरानन (बन्दी संख्या-26960) पुत्र श्री जामवन्त, निवासी जनपद-मैनपुरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-44 /2024/4119(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका (एस0) (क्रि0)सं0-277/2023 चतुरानन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।